



...
 भारतकारी ... 1908 की ...
 ...
 भारत: ...
 ... 1899 की अनुबंध
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

With the permission
 by S. D. O. Simdega vide

Cable NO. 247/ 2009-10
 order dt. 18-12-09

21-12-09
 ...

बलासिधुस खलखो

ता: 21-12-09

लेखकारी:- श्री बलासिधुस खलखो पिता स्व० स्तानिसवास
 खलखो, जाति- उराँव, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- खिजरी
 पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिकेता ।

प्रपथ-पत्र संख्या:- 730 / 2009 -

प्रमाण - राजेश खलखो पिता श्री
 बलनाथ खलखो ग्राम खिजरी
 पुरनापानी थाना सिमडेगा
 जिला सिमडेगा ता. 21/12/2009

300 885709



क्र. क्रमांक... 571 ... दिनांक 19.12.2009
नाम श्री रघुवीर कुमार खोसला पिता श्री इमानुवेल
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला



इस प्रकार
हर एक मास
मुख्य धाकदार
सिमडेगा
क्र. नं. 1108

1000x3 = 3000
500x1 = 500
100x3 = 300
50x3 = 150
10x3 = 30

11 = 3880

रघुवीर कुमार खोसला
ता. 21-12-09



21-12-09 10 to 1
अथवा ज. वि. विभाग निदेशन कार्यालय
ज. वि. विभाग में निदेशन कार्यालय
का समक्ष मुख्यालय को पत्र
लिखे शक्ति सक्षम
पत्रिका के बिना
निदेशन कार्यालय का कार्यालय
ज. वि. विभाग रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला
पिता श्री रघुवीर कुमार खोसला



M.S. 21-12-09



--2--

॥२॥ लेख्यधारी:- श्री अजीत कुमार खलखो पिता श्री इमानुवेल खलखो, जाति- उराँव, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- किनबोरा टोंगरीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. कृता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 731/2009

॥३॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला पैसा कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥४॥ मूल्य:- मगेबिलग सन्तानबे हजार रुपये अंके 97,000/- रुपये होता है ।

॥५॥ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुरनापानी थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वा जिला- सिमडेगा के छाता नं० 72 ॥बहत्तर॥ प्लॉट नं० 293 ॥दो सौ तिरानबे॥ रकबा 2.43 एकड़ में से 0.10 एकड़ ॥दस डिसेमिल॥ यह जमीन व्यवसायिक नहीं है पूर्णतः आवासीय है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौडदूरी:-

उत्तर:- नोज बिक्रेता का टांड इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- मंजुला कुल्लू का टांड इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- कोरनेलियूस का डाता इसी प्लॉट का अंश,

ब्ल्यारियूस रवलखा

ता: 21-12-09

जनाई - निमन लकड़ा पित स्व: सतोष लकड़ा आ. सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा ता - 21/12/09



--3--

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश रास्ता 6 फीट ।
मालगुजारी 5 पैसा १ पाँच पैसा १ अलावे सेस सलाना ।

॥1॥ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर
चरैलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन
बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन
खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना
स्वीकार किया ।

॥2॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर जो मन की स्वस्थता में
रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी
के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल
हक दखल जो अधिकार उक्त लेख्यधारी को उनके उत्तराधिकारियों
के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची
गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी
उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और
न आइन्दा रहेगा ।

॥3॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है ।
खतियान में मेरे परदादा लुइयु उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है ।
मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद
जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन

व्यक्तिगत
संख्या 2002/201
सी. 21-12-09



--4--

मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री करने हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में उोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 247/2009-10 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 18.12.2009 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 995१/१११ दिनांक 18.12.2009 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

व्याजिपुस- 2 व लरवा
दि. 21-12-09



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन
 वो बयत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

बिरेन्द्र प्रसाद खलरवा
 ता: 21-12-09



प्रमाणित किया जाता है कि बिक्रीकारी
 के नाम पर हाथ के पांचों अंगुलियों से
 निम्नानुसार मेरे सामने लिखा गया

d.d. by. me.

Birendra Prasad
 Khlorwa

21/12/09

बिरेन्द्र प्रसाद खलरवा
 ता: 21-12-09



--6--

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

अजीत कुमार खलरवा
 ता 21-12-09



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी
 के वापस हाथ के पांचों अंगुलियों
 का निशान मेरे सामने लिखा गया

अजीत कुमार खलरवा
 ता: 21-12-09

dl by. me

Birendra
 N/A

21/12/09



--7--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वा समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Birandra Singh*

Acc.

21/12/09

प्रारूपकर्ता
तारीख:-

बिनासिंह
21-12-09



--8--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल आठ पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खण्डन शक्ति को नकसा सीहत है एवं पृष्ठ संख्या 9 से 11 तक खाली है।

टंकक

मो० मकसुद

31-12-2009

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा।

बनारस पुस्तकालय
दो. 21-12-09